



Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited
Regd. Office: Block No.2, Shakti Bhawan, Rampur P.O.: Vidyut Nagar Jabalpur 482 008

E. D. (T&P-PMU)
MPPTCL, Jabalpur
R. No.
Date 11/13/2012

कमांक/अ.स./एमपीपीटीसीएल/2475

जबलपुर दिनांक 28.08.2012

परिपत्र

कंपनी द्वारा अधिसूचना कमांक 2814-15 दिनांक 23.12.2011 के माध्यम से कंपनी संवर्ग के कार्मिकों हेतु वेजेस एवं एलाउंसेस मेनुअल दिनांक 01.04.2012 से ग्राह्य किया गया है।


कंपनी के परिपत्र कमांक 2078-79 दिनांक 27.07.2012 से उक्त मेनुअल के खण्ड 11 (दो) में फिक्सड भत्ते की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के उपरांत नियमित श्रेणी में नियुक्त किये गये कार्मिकों के वेतन की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

- (i) मूल वेतन
- (ii) मूल वेतन पर 51 % की दर से फिक्सड भत्ता (दिनांक 01.04.12 की स्थिति में)
- (iii) मूल वेतन पर वेजेस एण्ड एलाउन्सेस मैनुअल में दी गई दरों पर परिवर्तनीय भत्ता (Variable allowance) । वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के अनुरूप ।
- (iv) पात्रतानुसार अन्य अनुपूरक भत्ते ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान परिवर्तनीय भत्ते (Variable allowance) की गणना करते समय कंपनी एवं कार्मिक दोनों के प्रदर्शन की श्रेणी "बी" मानी जावेगी। नवीन पेंशन योजना में कंपनी अंशदान के रूप में मूल वेतन के 10% के बराबर राशि जमा की जावेगी एवं कार्मिक के अंशदान के रूप में मूल वेतन की न्यूनतम 10% राशि की कटौती कर जमा की जावेगी।


फिक्सड भत्ते में परिवर्तन वेतन प्रबंधन समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जा सकेगा, जिसके लिए समय-समय पर पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

आदेशानुसार


मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफेयर्स)

प्रतिलिपि-

- 1 अपर सचिव, ऊर्जा म.प्र.शासन भोपाल।
- 2 मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर।
- 3 मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल / पश्चिम क्षेत्र वि. वि.कं. इंदौर / म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर / अतिरिक्त सचिव म.प्र.पू. क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- 4 कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन विकास) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 5 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड पी.) / (टर्न-की कांस्ट्रक्ट) / (अउदा- निर्माण) / (अउदा- संचारण) / (योजना एवं ऊर्जा पद्धति) / (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र. पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 6 मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 7 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सीआरए-सेल) / (ट्रांसमिशन-भंडार) / (आईटी / ईआरपी) म.प्र.पा. ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 8 अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा- निर्माण) / (अउदा- संचारण) / (सिविल-ट्रांसमिशन) / (400 के.व्ही. उपकेन्द्र) / वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 9 संयुक्त निदेशक (वित्त), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 10 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) / (संचार) / (अउदा- निर्माण) / (अउदा- संचारण) / (सिविल-ट्रांसमिशन) / (उपकेन्द्र) / (ट्रांसमिशन-भंडार) / (400 के.व्ही. परीक्षण) / (सीहोर वर्कशाप) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 11 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 12 स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 13 कंपनी सचिव, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 14 कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 15 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर। वर्ष 2006 के पश्चात कंपनी संवर्ग में नियुक्त कर्मिक, जिनका वेतन म.प्र.वि.मं. के वेतन समतुल्य देय था एवं जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं उन्हें वर्तमान में मार्च 2012 में देय सेलरी के बराबर ही सेलरी का भुगतान आगामी आदेश तक किया जाना है। अतः उक्त वेतन की गणना 01.04.2012 के उपरांत नियमित पदस्थापना में नियुक्त किये जाने वाले कर्मियों हेतु ही की जावेगी।
- 16 लेखाधिकारी (पेंशन), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 17 वेब मास्टर, कंपनी की वेबसाइट पर अप लोड करने हेतु।
18. आदेश फाइल।


 कार्यपालन अभियंता,
 कार्या.- मुख्य अभियंता (का.अ.)
 म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।